कार्यालय अध्यक्ष–एवं–उप मण्डल दण्डाधिकारी, नलवाड एवं देवता मेला समिति, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

कमांक–उ0म0अ0(ना0) धर्मपुर/मेला/2023–1574-1579 दिनांक 21, मार्च, 2023

"नीलामी सूचना"

नलवाड एवं देवता मेला–2023 जो दिनांक 04 अप्रैल, 2023 से 09 अप्रैल, 2023 तक मनाया जा रहा है के दौरान कालेज मैदान धर्मपुर व सांई भवन के साथ **डोम/झूले व लगभग 150 अस्थाई दुकानों** हेतू खुली नीलामी/बोली दिनांक 25.03.2023 को प्रातः 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। डोम, झूले व अस्थाई दुकानों की स्थापना मेला कमेटी द्वारा उपलब्ध करवाए गए नक्षा के अनुसार की जाएगी। अतः उक्त कार्यों की बोली हेतु अनुभवी व्यक्तियों/फर्मों से निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होने का आग्रह किया जाता है।

नियम व शर्ते

1. बोलीदाता को बोली से पहले धरोहर राशि मुवलिग 300000/– रूपये (तीन लाख) रूपये बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाने होंगे। तथा बोलीदाता को उनका GSTIN दस्तावेज,पैन कार्ड,अधार कार्ड तथा पिछले तीन सालों की आयकर रिर्टनंस जमा करवानी होगी।
2. जिस भी बोलीदाता के पक्ष में बोली तय होगी, उससे बसूल की गई धरोहर राशि कुल जमा होने वाली राशि में समायोजित की जाएगी तथा शेष व्यक्तियों/पार्टियों की धरोहर राशि नीलामी प्रकिया सम्पूर्ण होने के पश्चात वापिस कर दी जाएगी।
3. जिसके पक्ष मे बोली तय की गई है उसव्यक्ति/पार्टी को नीलामी की आधी राशि नीलामी वाले दिन ही सांय 05:00 बजे तक तथा शेष राशि दिनांक 27.03.2023 समय बाद दोपहर 2.00 वजे तक हर हाल में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा नीलामी रदद करके उसकी धरोहर राशि जब्त (Forfeit) कर ली जाएगी तथा मैदान की नीलामी पुनः की जाएगी जिसकी तिथि व समय निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा तथा धरोहर राशि प्राप्त करने हेतू अन्तिम नीलामी देने वाले बोलीदाता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. यदि नीलामी देने वाला व्यक्ति/पार्टी किसी कारणवश दोषी घोषित होता है तो वह व्यक्ति/पार्टी पुनः होने वाली नीलामी में भाग नहीं ले सकता।
5. नीलामीप्राप्तकर्ता आवंटित किये गये मैदान क्षेत्र के अन्दर कोई आपतिजनक दुकान स्थापित नहीं करेगा जिसमें गैम्बलिंग व अन्य असामाजिक गतिविधियां इत्यादि होनी प्रस्तावित हो। इस तरह का कोई मामला ध्यान में आया तो उस अवस्था में भी नीलामीप्राप्तकर्ता को नियमानुसार जुर्माना तय राशि में की गई बोली का 5 प्रतिशत किया जा सकता है तथा मेला मैदान आवंटन भी रदद किया जा सकता है।
6. जिस व्यक्ति के नाम मेला मैदान का आवंटन होगा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि मेला मैदान क्षेत्र के अन्दर आम जनता को आने जाने तथा आग इत्यादि नियंत्रण करने बारे सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। इस बारे मैदान का नक्शा रास्ते सहित बनाया गया है जिसके हिसाव से उपरोक्त व्यवस्था करनी पडेगी।
7. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को अस्वीकार या समय/तिथि में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा यह भी अधिकार होगा, कि वह किसी भी नीलामीप्राप्तकर्ता को आवंटित किये गये मेला मैदान के क्षेत्र को बिना कारण बताये रदद कर सकता है।
8. केवल वही फर्म या बोलीदाता इस प्रकिया में भाग लें जिनका अपना GSTIN नम्बर होगा और बोलीदाता बोली से पहले उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त कर (Including GST)सम्वन्धित फर्म द्वारा ही भुगतान किया जाएगा, तथा GSTसे सम्वन्धित भुगतान की प्रतिलिपि इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

अध्यक्ष (एस0डी0एम0),
नलवाड एवं देवता मेला कमेटी,
धर्मपुर, जिला मण्डी हि0 प्र0
दिनांक 21-03-2023

पृ0संख्या –उपरोक्त/2023–1574-1579

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है:–

1. इस कार्यालय, तहसील कार्यालय धर्मपुर, सन्धोल, खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर व उप तहसील कार्यालय टिहरा व मण्डप के सूचनापट्ट पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रेषित है।
2. सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सरकाघाट को भेजकर अनुरोध है कि नीलामी सूचना से सम्बन्धित समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष (एस0डी0एम0),
नलवाड एवं देवता मेला कमेटी,
धर्मपुर, जिला मण्डी हि0 प्र0

Scanned with CamScanner